


ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
169, चितवन एस्टेट, सेक्टर गामा- II,  
ग्रेटर नौएडा

पत्रांक : ग्रेनो/उद्योग/का0आ0/2016/33391  
दिनांक : 02 जून 2016

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड दिनांक 09.03.2016 में प्रस्तुत मद संख्या 104/8 पर प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में औद्योगिक नीति, 2013 के प्रस्तर F "Renting of Industrial Premises" में आंशिक संशोधन करते हुए 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों की इकाईयों निर्मित भवन का आंशिक भाग यदि किसी अन्य इकाई को किराये पर देना चाहती है तो नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र पर इकाई द्वारा किराये पर दिये जाने वाले प्रस्तावित भाग को अंकित करते हुए उसी समानुपात में भूखण्ड के ओपन एरिया को भी किराये के प्रस्तावित भाग में जोड़ते हुए रू0 100/- प्रतिवर्गमीटर की दर से 10 वर्षों के लिये शुल्क जमा होगा। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

  
(वी.पी. सिंह)

विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (G/J/S/K) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रसारित कराने के आशय से प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)